



प्रेस विज्ञप्ति

08.10.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पटना आंचलिक कार्यालय ने पंजाब नेशनल बैंक, मुजफ्फरपुर, बिहार में बैंक धोखाधड़ी से संबंधित धन-शोधन मामले में शामिल पाए गए छः (06) आरोपित व्यक्तियों-मोहम्मद जफर इकबाल, नितेश कुमार सिंह, संतोष आनंद, राजेश कुमार, मंजय कुमार सिंह और कुंदन कुमार के विरुद्ध सजा की मांग करते हुए 29/09/2026 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), पटना के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है।

ईडी की जांच बिहार पुलिस द्वारा धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों के संबंध में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज दो एफआईआर के आधार पर शुरू की गई। आरोप है कि मोहम्मद ज़फ़र इकबाल व उसके सहयोगियों ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के कार्मिक नितेश कुमार सिंह की मदद से पीड़ितों के बैंक खातों से 1.29 करोड़ रुपये की रकम निकाल ली। आरोपितों ने मोबाइल सिम स्विपिंग करके धोखाधड़ी की जिस कारण खाताधारकों को अपने खातों में हुए लेन-देन के बारे में पता नहीं चल सका।

जांच के दौरान, ईडी ने पूर्व में 11/12/2025 को आरोपितों से जुड़े 04 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया था। परिणाम-स्वरूप, चार (04) बैंक खातों में रखे 83 लाख रुपये की अपराध की आय (पीओसी) पता लगाकर उसे फ्रीज़ कर दिया गया। जांच में पता चला कि आरोपितों ने विभिन्न शहरों में स्थित फर्जी खातों में पीएनबी मुजफ्फरपुर शाखा के खाताधारकों की बचत से 1.29 करोड़ रुपये का गबन किया। तदुपरांत, पीओसी को हवाला के माध्यम से तथा विभिन्न स्थानों पर एटीएम के नकद जमा द्वारा मो. ज़फ़र इकबाल के व्यक्तिगत खातों और उनकी एकल स्वामित्व वाली फर्म में वापस भेजा गया और इसे सह-आरोपितों में वितरित कर दिया गया।

आगे की जांच जारी है।
